उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या।74(M)XXVII(3)पे0/2005
देहरादून, दिनांक 11 मई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1411(1)पें/XXVII(3)पें/2004, दिनांकः 02 नवम्बर, 2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2004 से स्वीकृत की गई थी, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 02 नवम्बर, 2004 में उल्लिखित दरों का अतिकमण करते हुए 01 जनवरी, 2005 से महंगाई राहत की एक और किश्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जनवरी, 2005 से राहत की दर बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत

Government of Uttaranchal
Finance Section -3
N0-174(P)/XXVII(3)P/2005
Dehradun : Dated : 11 May, 2005

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 1411(1)/XXVII(3)P/2004, dated: 02 November, 2004 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2004 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3% (Three Percent) with effect from 01 Jan., 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 02 November, 2004 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2005 has risen to 17%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

Vit-3

HS

का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

7– दिनांक : 09.11.2000 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को उ0 प्र0 से अनुमन्य की जा रही मंहगाई राहत के समतुल्य धनराशि देय होगी। कार्यालय ज्ञाप सं0 1411(1)/ XXVII(3)पें/2004 दिनांक : 02 नवम्बर, 2004 के द्वारा दिनांक : 01.07.2004 से पूर्व में स्वीकृत मंहगाई राहत में 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त मंहगाई राहत को सम्मिलित करते हुए दिनांक : 01.07.2004 से 61% (प्रतिशत) से बढ़कर 64% (प्रतिशत) तथा दिनांक : 01.01.2005 से 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त मंहगाई राहत को सम्मिलित करते हुए 67% (प्रतिशत) की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य की जाती है।

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या 174(A)/XXVII(3)पें/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

7- Pensioners who retired prior to 09.11.2000 would be eligible for dearness relief as admissible in Uttar Pradesh. Thus w.e.f. dated : 01.07.2004 payable of additional dearness relief of 3% (percent) would be 64% (percent) instead of 61% (percent) and w.e.f dated : 01.01.2005 that admissible dearness relief would be 67% (percent) which includes an additional dearness relief of 3% (percent) sanctioned by O.M.No. 1411(1)/XXVII(3) P/2004 dated : 02 November, 2004.

Radha Raturi
Secretary

No. 174(A)/XXVII(3)P/2005, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.

5- Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttaranchal.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary